

बंजर भूमि विकास योजना हेतु वित्तपोषण योजना :

उद्देश्य :

- मिट्टी सुधार, मिट्टी संरक्षण उपाय, भूमि अनुकूल बनाने के लिए आरंभिक, बेकार पड़ी भूमि पर या विद्यमान बंजर भूमि में वानिकी पेड़ लगाना/चरागाह बनाने, बंजर भूमि में सिंचाई संभावना उत्पन्न करने, बंजर भूमि का योजनाबद्ध वानिकीकरण ।
- पेड़ पट्टा योजना के अंतर्गत पेड़ पट्टा धारक को ऋण प्रदान करने ।
- निवेश प्रोत्तति योजना के अंतर्गत गैर-वानिकी बंजर भूमि का विकास ।
- नर्सरी की स्थापना इत्यादि ।

पात्रता :

- ऊसर भूमि, क्षारयुक्त भूमि, भू-रक्षण आदि के कारण निकृष्ट प्रकार की भूमि जोत वाले एकल किसान (चाहे वे भू-मालिक अथवा दीर्घ कालीन काश्तकारी / पट्टा धारण के अधिकार रखने वाले के रूप में हों)।
- पंचायतें/अन्य एकक जिनके पास इस तरह की भूमि है ।

ऋण सीमा : आवश्यकता आधारित ।

चुकोती : 5-15 वर्ष ।